प्रतिलिपि :— यह आदेश, आदेश पत्रिका में जो कि न्यायालय माखनलाल झोड़ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र क्रमांक—बी.ए. 17/2018, धारा 439 दं.प्र.सं. के संदर्भ में आज दिनांक 21.02.2018 को पारित किया गया, जिसके पक्षकार निम्नानुसार है :—

- 1- जयलाल पिता दयाल धुर्वे जाति गोंड
- 2— हीरालाल उर्फ पाटू पिता भादू जाति गोंड दोनों निवासी लिमोटी थाना मलाजखण्ड चौकी पाथरी तहसील बैहर जिला बालाघाट

— — आवेदकगण।/ <u>विक्तद्ध</u> / /

म.प्र.शासन द्वारा :-आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड चौकी पाथरी जिला-बालाघाट — — — अनावेदक।

{आदेश दिनांक 21/1/2018 की प्रतिलिपि}

आवेदकगण द्वारा श्री पी०एन० शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित। राज्य द्वारा श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. उपस्थित।

जमानत आवेदन क्रमांक बी.ए. 17 / 2018 पर आवेदकगण की ओर से श्री पी०एन० शुक्ला अधिवक्ता ने बल न देना व्यक्त किया।

अतः बल न देने से जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 17 / 2018 निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति संबंधित थाने को भेजी जावे।

यह आवेदन पंजी से निरस्त कर, परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / -

(माखनलाल झोड) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

प्रतिलिपि : संबंधित थाने की ओर एक प्रति सूचनार्थ प्रेषिता

सही 🗸 –

(माखनलाल झोड) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर